

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

फौ0 वा0 सं0 794/2022

पुष्कर लाल साह बनाम् नवीन चन्द्र पन्त

138 एन0आई0 एक्ट।

52 / 13.08.2024

पुकारा गया। परिवादी की हाजिरी माफी श्री हरीश चन्द्र जोशी द्वारा पेश। सुना। स्वीकृत। अभियुक्त की हाजिरी माफी विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद भट्ट द्वारा पेश। सुना। स्वीकृत। परिवादी के घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मामले में विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादी की ओर से एक अन्य तिथि की प्रार्थना की गयी। आपत्ति नहीं की गयी। सुना। स्वीकृत।

पत्रावली दिनांक 21.08.2024 को वास्ते परिवादी साक्ष्य हेतु पेश हो।

(गुंजन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागेश्वर।